उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या–सी-78/स्थापना/बोनस–2016–17/2018–19 दिनांक :13-12-18

समस्त शाखा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय- वर्ष 2016-2017 के लिये कस्टमरी बोनस की स्वीकृति।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों (प्रतिनियुक्ति सहित) को वित्तीय वर्ष 2016–2017 (01–04–2016 से 31–03–2017) हेतु प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 04.08.2018 द्वारा लिए गए निर्णय के कम में अधिकतम दर पर कस्टमरी बोनस के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बोनस का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा–

(1) बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके द्वारा उपर्युक्त वर्ष में अर्जित परिलब्धियों के 20% की दर से बोनस का भुगतान किया जायेगा, किन्तु बोनस की गणना हेतु कर्मचारी/अधिकारी की मासिक अधिकतम परिलब्धियां रू0 7000/– ही मानी जायेगी तथा बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा 16800/–(सोलह हजार आठ सौ रुपये) वार्षिक से अधिक नहीं होगी।

(2) बोनस के भुगतान हेतु बैंक के सभी कर्मचारी/अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी सहित) पात्र होगें।

(3) दैनिक मजदूरी, संकलित स्वीकृत वेतन, तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी बोनस देय होगा।

(4) बोनस हेतु वे कर्मचारी/अधिकारी ही पात्र होगें, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कम से कम 30 कार्यशील दिनों तक बैंक में कार्य किया हो।

(5) बोनस की गणना हेतु अर्जित अवकाश के नकदीकरण तथा वाहन चालकों को मिलने वाले एक माह के वेतन के बराबर के मानदेय को वेतन में शामिल नहीं किया जायेगा।

(6) जिन कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन दिनांक 01–01–06 से पुनरीक्षित हो चुका है, उनके लिये वेतन का तात्पर्य पे बैण्ड में वेतन, ग्रेड पे, मंहगाई वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा प्रतिशत मंहगाई भत्ता से होगा।

जिन कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन 01–01–06 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है अर्थात 01–01–06 से पूर्व के वेतनमानों में कार्यरत हैं, उनके लिये वेतन का तात्पर्य मूल वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिशत मंहगाई–भत्ता, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता से ही होगा।

(7) The payment of Bonus Act-1965 की धारा–18 में प्राविधानित व्यवस्था के परिपेक्ष्य में ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध उक्त अवधि में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित रही हो उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही निर्णीत होने के उपरान्त ही बोनस का भुगतान किया जायेगा क्योंकि उक्त धारा में कर्मचारी पर वित्तीय दायित्व आहरित होने की दशा में सम्बन्धित धनराशि देय बोनस से समायोजित की जा सकेगी। ऐसे कर्मचारी जिनको निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी हो तथा उनकी निलम्बन अवधि को सेवाकाल मानते हुए सवेतन बहाल किया गया हो वह भी बोनस पाने के पात्र होगें किन्तु बोनस की गणना उनके द्वारा आहरित वेतन के आधार पर की जायेगी।

बोनस की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रकिया–

(1) बोनस के भुगतान किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि बोनस की 25% धनराशि कार्मिकों को नकद एवं शेष 75% धनराशि कार्मिकों के नाम से दो वर्ष के लिए शाखा पर कार्यरत कार्मिकों की शाखा पर एवं प्र0का0/प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यरत कार्मिकों की प्रधान कार्यालय(लेखा अनुभाग) में **सावधि जमा 02 वर्ष के लिए भुगतान किये जाने की तिथि** से की जायेगी।

(2) बोनस हेतु अपात्र कार्मिकों की सूची सहायक महाप्रबन्धक(स्थापना) के हस्ताक्षर से दिनांक 17.12.2018 तक बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाय, जिन्हें बोनस का भुगतान अग्रिम आदेशों तक नहीं किया जायेगा। पात्र या अपात्र कार्मिक का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारण हेतु सहायक महाप्रबन्धक(स्थापना) को अधिकृत किया जाता है।

(3) शाखा कार्यालयों में नियुक्त समस्त कर्मचारियों को बोनस का भुगतान संबंधित शाखा प्रबन्धक द्वारा नियमानुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत कर दिया जाय। गत वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2016–2017 में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को वितीय वर्ष 2016–2017 से संबंधित अवधि के लिये किये गये वेतन के भुगतान का विवरण संलग्न प्रारूप (1) पर तैयार किया जायेगा और बोनस का बिल प्रारूप न0–2 पर बनाकर स्वीकृत किया जायेगा। प्रारूप न0–1 एवं बोनस बिल की एक प्रति प्रधान कार्यालय के लेखा अनुभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित होकर आये समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को बोनस का भुगतान उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान से ही किया जायेगा। स्थानान्तरित कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2016–2017 के वेतन भुगतान का विवरण संबंधित शाखा प्रबन्धकों द्वारा स्थानान्तरित कर्मचारियों के वर्तमान नियुक्ति स्थान पर संलग्न प्रारूप–1 पर बनाकर तुरन्त भेजा जायेगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कार्यरत रहे उन कर्मचारियों/अधिकारियों जिन्हें उक्त वर्ष का बोनस अनुमन्य है, परन्तु वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा मृतक हो गये हैं या त्यागपत्र देकर चले गये हों, उनके बोनस विपत्र की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही प्रधान कार्यालय द्वारा की जायेगी। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भुगतान का विवरण संलग्न प्रारूप–1 पर अविलम्ब प्रधान कार्यालय के लेखा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(6) शाखा पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का बोनस का भुगतान सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा जनपद अन्तर्गत शाखाओं पर कार्यरत समस्त शाखा प्रबन्धकों के बोनस का भुगतान सम्बन्धित जनपदीय वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। जनपदीय वरिष्ठ प्रबन्धकों के बोनस का भुगतान सम्बन्धित मण्डलीय वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा एवं मण्डलीय वरिष्ठ प्रबन्धकों के बोनस का भुगतान सहायक महाप्रबन्धक(लेखा) के माध्यम से स्वीकृत किया जायेगा।

(7) प्रधान कार्यालय पर नियुक्त समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को बोनस के भुगतान की स्वीकृति मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/सहायक महाप्रबन्धक(लेखा) द्वारा उपरोक्तानुसार की जायेगी।

(8) प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों के बोनस की स्वीकृति प्राचार्य(प्रशिक्षण केन्द्र) द्वारा प्रदान की जायेगी। प्राचार्य(प्रशिक्षण केन्द्र) के बोनस के भुगतान की स्वीकृति मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(9) बोनस भुगतान के समय निर्णीत अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत कार्मिकों के देयो से कटौती /समयोजन को भी नियमानुसार विचार करने की जिम्मेदारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी की होगी। ऐसे कार्मिकों की सूची भी सहायक महाप्रबन्धक(स्थापना) के हस्ताक्षर से दिनांक 17.12.2018 तक वेबसाइट पर अपलोड करायी जाय।

(10) बोनस भुगतान पर होने वाला व्यय ''102– बोनस'' मद में डाला जायेगा। बोनस का भुगतान करके प्रत्येक शाखा कार्यालय द्वारा इस मद में हुये व्यय का विवरण अविलम्ब मुख्यालय भेजा जायेगा।

उक्तानुसार बोनस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

नोट– जो कार्मिक स्वेच्छा से अपना अंश बोनस के सावधि जमा भाग में मिलाकर सावधि जमा करना चाहते हैं, तो सावधि जमा की 02 वर्ष की सीमाबद्ध अवधि उनके अंश पर भी लागू होगा।

<u>संलग्नक</u> : प्ररुप 1 व 2

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0।
2– सहायक महाप्रबन्धक(लेखा), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
3– समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
4– उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर/आई0टी0सेल) को बैंक वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5– प्राचार्य(प्रशिक्षण केन्द्र), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ।
6– स्टाफ आफिसर(मा0 सभापति महोदय) को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ हेतु।
7– आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/18

(डी0के0 सिंह)
सहायक महाप्रबन्धक(स्थापना)

प्रारूप -1

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

बोनस के भुगतान हेतु वर्ष 2016-2017 में कर्मचारी को किये गये वेतन भुगतान का विवरण-

कार्यालय का नाम...जनपद............................

कर्मचारी का नाम...पदनाम............................

क्र0 सं0	अवधि	पे-बैण्ड में वेतन	ग्रेड-पे	प्रतिशत महंगाई भत्ता	प्रतिनि0 भत्ता	निश्चित मं0 भत्ता	अति0 महंगाई भत्ता	योग	बोनस की गणना हेतु धनराशि अधिकतम रू0-7000/- मासिक	देय बोनस स्तम्भ-9 का 20 प्रतिशत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अप्रैल-16										
2	मई-16										
3	जून-16										
4	जुलाई-16										
5	अगस्त-16										
6	सितम्बर-16										
7	अक्टूबर-16										
8	नवम्बर-16										
9	दिसम्बर-16										
10	जनवरी-17										
11	फरवरी-17										
12	मार्च-17										
13.	एरियर भुगतान यदि कोई तो उसका विवरण एरियर वेतन एवं महंगाई भत्ता आदि ।										

नोट- एरियर पर बोनस संबंधित वर्ष से घोषित दरों पर किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि ....दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2017 तक अर्जित अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश या वेतन रहित अवकाश पर नहीं रहे/ दिनांक.................से ....तक अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, वेतन रहित अवकाश पर हैं और स्वीकृत अवकाश का वेतन..............................की दर से दिनांक...........................से .... तक का भुगतान प्रधान कार्यालय के आदेशांक...................... स्थापना/..................दिनांक................के अनुपालन में किया गया है।

ह0शाखा आंकिक

....

ह0 शाखा प्रबन्धक

शाखा कार्यालय..............

जनपद......................

Form No. 2

U.P. Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

Name of office---Bonus bill for the Year 2016-2017

Bonus payable to bank and deputation staff @ 20% only of the total salaries earned during the year 2016-2017

Prepared by------------checked by-------------------------------------passed for payment of Rs.----------------------------------

Sl. No.	Name of employee	Designation	Salaries earned during 2016-2017							Total	Amount eligible for bonus Max- Rs-7000/- p.m.	Total bonus payable (20% of Colum-10)	Remarks
			Pay in Pay Band	Grade Pay	Dearness Pay	Dep. All.	Personal pay	Fixed D.A.	Percentage D.A.				
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Total													

Branch Manager